न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 84/2025 बउनवानी केलाशचन्द वर्मा बनाम अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर
बी–23 जय जवान अपार्टमेंट विज्ञान नगर सेक्टर–1 जयपुर
GCMS No-2025/ 191

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
3.9.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 13.6.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर *"आवेदक सहित समस्त विज्ञान नगर कॉलोनीवासी द्वारा दिनांक 5.5.2025 को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर दिये गये " रामसिंह अस्पताल के सामने वर्षो पूर्व स्वीकृत सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा करने बाबत दिये गये प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की प्रमाणित सूचना।* "अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांकः एफ.13(1)(95)/सूकाअ/2025/938 दिनांक 01.08.2025 का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 13.6.2025 मे चाही गयी सूचना से संबंधित प्रार्थना पत्र दिनांक 5.5.2025 को जिला कार्यालय के आवक–जावक अनुभाग के पत्र क्रमांक 9487 दिनांक 7.5.2025 द्वारा अधीक्षण अभियंता,सा0नि0विभाग सवाईमाधोपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है जिसकी सूचना लोक सूचना अधिकारी के पत्रांक एफ.1(95)/सूकाअ/2025/734 दिनांक 19.6.2025 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। अपीलान्ट द्वारा भी दिनांक 20.8.2025 को जरिये रजिस्टर्ड डाक अपनी आपत्ति प्रेषित करते हुए अवगत कराया कि सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत आवेदक को सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है ओर ना ही प्रार्थी का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अधीक्षण अभियंता, सा0नि0विभाग सवाईमाधोपुर को अन्तरित किया गया है। अतः प्रार्थी को वांछित सूचनाऐ दिलवाये जाने बाबत निवेदन किया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 13.6.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना (प्रार्थना पत्र दिनांक 5.5.2025 पर की गयी कार्यवाही की सूचना) लोक सूचना अधिकारी एवं अति0जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के पत्रांक 734 दिनांक 19.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधीक्षण अभियंता, सा0नि0वि0 सवाईमाधोपुर को भिजवाया जा चुका है किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र पर की गयी कार्यवाही की जानकारी हेतु अपीलान्ट का आवेदन पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत अधीक्षण अभियंता, सा0नि0विभाग सवाईमाधोपुर को अन्तरित नही किया गया। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को आवेदन पत्र अधीक्षण अभियंता सा0नि0विभाग सवाई माधोपुर को अन्तरित किया जावे। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी ग[illegible] Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:35:29 IST Reason: SelfAttested (का[illegible]) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner